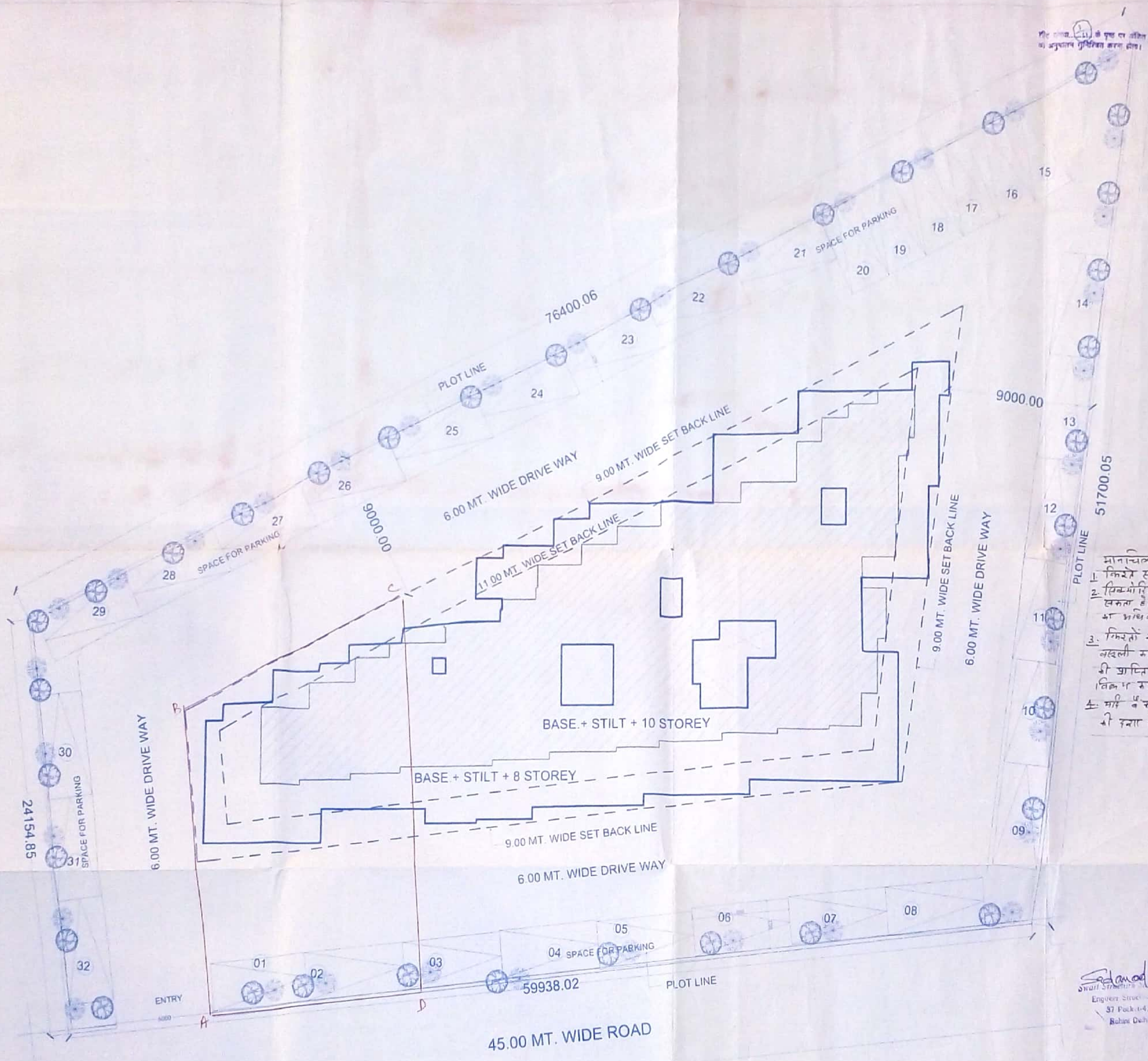

SITE PLAN

AREA STATEMENT

S.NO.	PARTICULARS		SQ.MTR.
1	TOTAL PLOT AREA		[illegible]
2	PERM. GROUND COVERAGE = 35%OF PLOT AREA = 35 % OF 2377.35 = [illegible]		[illegible]
3	PROPOSED GROUND COVERAGE		[illegible]
	A STILT AREA	[illegible]	
4	PERM. STILT AREA (30% OF PLOT AREA)		[illegible]
5	PROPOSED STILT AREA		[illegible]
6	PERM. BASEMENT AREA		[illegible]
7	PROPOSED BASEMENT AREA		[illegible]
8	PERM. F.A.R. = 2.50 2377.35 X 2.50 = [illegible]		[illegible]
9	PROPOSED F.A.R.		[illegible]
	A RESIDENTIAL		
	a TOTAL F.A.R. AREA	[illegible]	
10	PERMISSIBLE RESIDENTIAL UNITS AS PER 125		77 UNITS
11	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL UNITS		72 UNITS
12	TOTAL MUMTY AREA		[illegible]
13	AREA OF MACHINE ROOM		13.34
14	FIRE STAIR CASE AREA		[illegible]

मानचित्र पर दर्शित A B C D ☐ का क्षेत्रफल 351.00 वर्ग मी. है।

1. किश्तें समय से न दिये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

2. सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में प्रस्तावित भूमि पर बिल्डर द्वारा निर्माण किया जा सकता है। किन्तु उक्त भूमि पर निर्मित फ्लैट्स के पूर्ण भुगतान होने तक विक्रय का अधिकार नहीं होगा।

3. किश्तों का भुगतान समयान्तर्गत न होने पर भूमि/भवन से किश्त का वसूली कराने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। यदि विक्रय से पूर्ण धनराशि की प्राप्ति नहीं होती है, तो अवशेष धनराशि बिल्डर की अन्य सम्पत्ति को विक्रय कर अथवा भू-राजस्व के बकाया के रूप में नियमानुसार वसूल की जायेगी।

4. यदि बैंक द्वारा उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त किया जाता है, तो वसूली की दशा में प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।

PROJECT
SUBMISSION DRAWING FOR THE GROUP HOUSING AT PLOT NO. GH - 08 AHINSA KHAND INDIRAPURAM GHAZIABAD (U.P.)

OWNER
M/s. VISHAL PRODUCTS PVT. LTD.
DIRECTOR- PAWAN AGGARWAL

DRAWING TITLE
SITE PLAN

For Vishal Products Pvt. Ltd.
Director
OWNER'S SIGN

Architect
ANUJ AGARWAL
CA/96/19503
HALL-1, IInd FLOOR, CS-6, G.K.-II,
AJNARA COMPLEX, INDIRAPURAM,
GHAZIABAD PH.-9810119962

ARCHITECTS PRIVATE LIMITED

architects. engineers. landscape & interior designers
ANUJ AGARWAL ARCHITECTS P. LTD
Hall No-01 , IInd , Floor , Ajnara Complex
C.S.-06 , Gyan Khand -II , Indirapuram Gzb.
Ph:+91 120 6454184 , 2691486
e-mail : arch_anujagarwal@yahoo.co.in

SCALE	N.T.S.	DEALT BY	AJAY	DATE
DESIGN BY		CHECKED BY		DRG. No. SD-01

Scanned by CamScanner

कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या ....136 / 1676/THA/GH/2009-2010 दिनांक 20/8/10

श्रीमति/श्री/. मैसर्स .... विश्राल प्रोडक्टस प्रा०लि०
द्वारा-श्री पवन अग्रवाल (डायरेक्टर)
सी-142 लाजपत नगर-1 दिल्ली-24

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक ....28/01/10..... के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग.......... भवन की मौहल्ला/कालोनी/ग्राम.......................पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–
प्लाट - GH/8 आदित्यखण्ड-II इन्दिरापुरम गा०बाद

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी. डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सडक की ओर खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पुर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा ।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एंव स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 23/1/08/17 की पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर पर पेड़ लगाना अनिवार्य हैं। 0-50 पेड़
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बेंक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करनी होगी
19- हिन्डन एयरपोर्ट की NOC प्रस्तुत करने पर ही मानचित्र की ऊँचाई 30 मीटर से ऊपर मान्य होगी।
20- स्वीकृत मानचित्र के साथ संलग्न अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

संलग्नक :
1. दो सैट स्वीकृत मानचित्र

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद

पत्रांक /एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपी : 1. अधि० अधि० नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र सहित ।
2. अवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एंव राजस्व) को सचनार्थ।

सी०ए०टी०पी०

Scanned by CamScanner